रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-801/2018/1538/22-2-2018-17(07)/2013

लखनऊ: दिनांक: 22 अक्टूबर, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, नैनी इलाहाबाद** के सिद्धदोष **बन्दी आनन्द बिहारी दीक्षित (बन्दी संख्या-79/2009) पुत्र श्री चतुर्भुज दीक्षित, जो-नई कालोनी, थाना-सिविल लाईन, जनपद-इटावा** का रहने वाला है, जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-149/2001** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/34** के अधीन **दिनांक 30.04.2004** को **मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(कोर्ट सं0-6), इटावा** द्वारा **आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित** किया गया तथा बन्दी द्वारा दिनांक 05.02.2018 तक 17 वर्ष 02 माह 11 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 03 माह 24 दिन की काटी गयी सपरिहार सजा एवं अत्यधिक आयु के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं] तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, इटावा** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-801/2018/1538(1)/22-2-2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in